उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-**93** /2025/345/41-1-2024-CN-1789563-2024
लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0-9461/मु0प0वि0स0यो0/सीएन-67667/2023, दिनांक 03 फरवरी,2025 द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में जनपद मथुरा की वि0 स0 क्षेत्र-छाता के ग्राम सांचौली में माँ भगवती सांचौली देवी स्थल के समीप कन्वेंसन सेंटर-03 हॉल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्यके स्थान पर सम्यक् विचारोपरान्त''**माँ भगवती सांचौली देवी मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य**''एतद्द्वारा अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत पर्यटन अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या-1020/2024/3123/41-1-2024-सी०एन०-1789563-2024, दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महानिदेशक**,** पर्यटन**,** उत्तर प्रदेश**,** लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, मथुरा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. निदेशक**,**उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)**,** लखनऊ।
9. निदेशक, पर्यटन**,** उत्तर प्रदेश**,** लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी**,**मथुरा।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in